

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना  
दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0-91/7473- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार गांव भोड़सी, जिला गुड़गांव में सीनियर सैकेंडरी स्कूल के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

जिला गुड़गांव के गांव भोड़सी के सीनियर सैकेंडरी स्कूल के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 206/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाए:-

**उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम:-** इसमें गांव भोड़सी, जिला गुड़गांव की आयत संख्या 208, 209, 215 तथा 236 शामिल है।

डा0 तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

---

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

Notification

The 30<sup>th</sup> April, 1991

No. JD-91/7473- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Govt. Senior Secondary School at village-Bhondsi, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

**SCHEDULE**

Schedule of Boundary of the controlled area around Govt. Senior Secondary School at village-Bhondsi, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 206/91 dated 8<sup>st</sup> February, 1991.

**North, South, East & West:** It comprises at rect. No. 208, 209, 215 and 236 of village Bhondsi, District Gurgaon.

**DR. TARSEM LAL**

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.